



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क – जयपुर

OFFICE OF THE COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)

फोन न. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

फा.सं.: 1-22(10)प्रशा./जेपीआर/2018/184

दिनांक:-07.02.2022

कार्यालय आदेश सं. 04/2022


दिनांक 07.02.2022

डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 11013/9/2014-Estt.A-III दिनांक 31.01.2022 के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 03/2022 दिनांक 03.02.2022 का संदर्भ लेते, जिसके तहत केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (मुख्यालय), जयपुर के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए दिनांक 04.02.2022 से 15.02.2022 तक की अवधि का ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया था।

डीओपीटी के द्वारा कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के आधार पर जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.02.2022 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी स्तरों के अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी छूट के नियमित आधार पर दिनांक 07.02.2022 से कार्यालय में उपस्थित होंगे।

उक्त के संबंध में, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (मुख्यालय), जयपुर के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को एतद्वारा दिनांक 07.02.2022 से नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन जैसे- बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, मास्क/फेस कवर पहनना, हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, करना भी सुनिश्चित करना होगा।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

  
(निशांत तोमर)

उपयुक्त (का. एवं सत.)

प्रतिलिपि -

1. संयुक्त आयुक्त (मुख्य आयुक्त कार्यालय), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी / व्यक्तिगत प्रति .....
3.  अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर – को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

